

07.02.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होगा है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने आवेदन को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुभार होकर दारिखल दफ़्तर हो व नंबर से कम हो।

वेदपुत्र
07/02/25

सहायक कलक्टर
(S.D.O.), जाज़नेर

